न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड–नीमच,जिला–नीमच, (म.प्र.)

–::प्रारूप पाँच::–

(देखिये नियम–9(7)देखिए)

कालोनी विकसित करने हेतु अनुज्ञा

अनुज्ञा कमांक...02 नीमच, दिनांक 12/06/2023

प्र.क्र.22/ब–121/23–24 वैधता दिनांक 11/06/2028

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993(कमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत(कालोनियों का विकास)नियम, 2014 के अधीन एतद् द्वारा " **श्री परशुराम नगर** " कालोनी के स्वीकृत अभिन्यास अनुसार कालोनी विकसित करने एवं 40 प्रतिशत भूखण्ड विकय करने की अनुज्ञा दी जाती है:–

श्री	**श्री परशुराम सुविधा गृह निर्माण सह.संस्था मर्या. नीमच** द्वारा– ओमप्रकाश पिता मुरलीधर शर्मा
निवासी	126
मोहल्ला	शिक्षक नगर
ग्राम/वार्ड	नीमच
कस्बा	नीमच
तहसील	नीमचनगर
जिला	नीमच
भूमि के ब्यौरे	ग्राम–बरूखेड़ा
खसरा कमांक	1049,1059,1061,1062,1064
कुल क्षेत्रफल	**1.85 हेक्टर**

निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए अनुज्ञा प्रदान की जाती है:–

1– मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959(कमांक 20 सन्1959) के उपबंधों के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिए लागू शर्तो का पालन करना होगा ।

2– मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973(कमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु अनुज्ञा कमांक NEELPo10223233 दिनांक 14 मार्च, 2023 में उल्लेखित निहित समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

3– मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तो) नियम,1994 संशोधित नियम, 2014 का पालन करना होगा ।

4– उक्त कॉलोनी के विकास हेतु भू खण्ड विकय की अनुमति बंधक रखे गये भूखण्डों को छोड़कर मान्य होगी ।

5– भूखण्ड अथवा भूमि के स्वत्व संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक एवं संबंधित कॉलोनाईजर का होगा ।

6– कॉलोनी विकास करते समय जल संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करना अनिवार्य होगा ।

7– कॉलोनाईजर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा निपटाने के संबंध में तथा स्ट्रीट लाईट का सौर उर्जा के संचालन एवं छत पर सौर पैनल स्थापित करने आदि की व्यवस्था करना आवश्यक है ।

8– कॉलोनी विकास हेतु समय–समय पर शासन से प्राप्त परिपत्र दिशा–निर्देशों का पालन कॉलोनाईजर द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा ।

9– उक्त कॉलोनी विकास हेतु अनुज्ञा दिनांक 11/06/2028 तक वैध रहेगी ।

स्थान: नीमच

दिनांक 12/06/2023

अनुविभागीय अधिकारी
उप खण्ड नीमच